

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A

प्रलिस के लयः

संवधान पीठ, भारत का मुख्य न्यायाधीश, नागरिकता अधिनियम, 1955, असम समझौता, नागरिकता

मेन्स के लयः

भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और नरिधारण, नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन

[स्रोत: द हट्टि](#)

चरचा में क्यौं?

हाल ही में [भारत के मुख्य न्यायाधीश](#) के नेतृत्व में एक संवधान पीठ द्वारा [नागरिकता अधिनियम, 1955](#) की धारा 6A की संवधानिकता को चुनौती देने वाली वभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की गई।

- संवधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि वह मात्र धारा 6A की वैधता की जाँच करेगी, न कि असम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) की।

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A:

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1985 के असम समझौते के बाद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के हसिसे के रूप में धारा 6A को अधिनियमित किया गया था।
 - असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रपिक्षीय समझौता था, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को रोकना करना था।
- वर्ष 1985 में हसत्काक्षरति असम समझौते द्वारा वशिष रूप से असम के लयि वर्ष 1955 के नागरिकता अधिनियम में धारा 6A को शामिल किया गया था।
 - यह प्रावधान वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्त युद्ध से पूरव बड़े पैमाने पर प्रवासन के मुद्दे का समाधान करता है। यह वशिष रूप से 25 मार्च, 1971 (बांग्लादेश का नरिमाण) के बाद असम में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों का पता लगाने तथा उनका नरिवासन अनवार्य करता है।
 - धारा 6A इस महत्त्वपूरण अवधि के दौरान असम के समक्ष वशिषि ऐतहासकि और जनसांख्यिकीय चुनौतियों को संबोधति करती है।

प्रावधान एवं नहितारथ:

- धारा 6A ने असम के लयि एक वशिष प्रावधान किया जिसके द्वारा 1 जनवरी, 1966 से पहले बांग्लादेश से आए भारतीय मूल के व्यक्तियों को उस तथिके अनुसार भारत का नागरिक माना जाता था।
- भारतीय मूल के व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के मध्य असम आए थे और जनिके वदिशी होने का पता चला था, उन्हें अपना पंजीकरण कराना आवश्यक था तथा कुछ शर्तों के अधीन 10 साल के नवास के बाद उन्हें नागरिकता प्रदान की गई थी।
- 25 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाना था और कानून के अनुसार उन्हें नरिवासति किया जाना था।

चुनौतियाँ:

संवधानिक वैधता:

अनुच्छेद 6:

- याचिकाकर्त्ताओं का तर्क है कि धारा 6A संवधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन है।
- भारतीय संवधान का अनुच्छेद 6 वभिजन के दौरान पाकस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से संबंधति है।
- इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो कोई भी 19 जुलाई, 1949 से पहले भारत आया, वह स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाएगा यदि उसके माता-पति या दादा-दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो।

2. जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्रध्वज बन सकता है।
3. जिस वदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/section-6a-of-the-citizenship-act-1955>

